कोर्ट फी COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES

(49)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

श्री .... द्वारा आज दि. 5-5-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कमांक एक–निगरानी / अशोकनगर / भू.रा. / 2018 /

निगरानी 2747/2018/अशोकनगर/भू.रा.

सुखवीर सिंह पुत्र स्व. घनश्याम सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम सोवत तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर , मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्व

लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व. घनश्याम सिंह रघुवंशी
निवासी गुलागंज आरोन तहसील आरोन
जिला गुना, मध्य प्रदेश ---असल अनावेदकगण

1– दशरथ सिंह (मृत) पुत्र स्व. घनश्याम सिंह वारिस
  अ– श्रीमती सुनीता पत्नि स्व. दशरथ सिंह
  ब– राजा पुत्र स्व. दशरथ सिंह रघुवंशी
2– सुश्री रब्बीवाई पुत्री स्व. दशरथ सिंह रघुवंशी
3– सुश्री लक्ष्मीवाई पुत्री स्व. दशरथ सिंह रघुवंशी
4– सुश्री कृष्णावाई पुत्री स्व. दशरथ सिंह रघुवंशी
  सभी निवासी ग्राम सोवत तहसील अशोकनगर
  जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश
5– म0प्र0शासन व्दारा तहसील अशोकनगर ---तरतीवीं अनावेदकगण

5.5.18 जी.डी. नायक एड.

(श्रीमान तहसीलदार अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 1 अ–6 / 2017–18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27–3–18 के विरूद्व निगरानी–अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959)

महोदय

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि आवेदक एंव असल अनावेदक तथा फार्मल अनावेदकगण एक ही पिता की सन्तान होकर स्वर्गीय घनश्याम सिंह व्दारा छोड़ी गई समस्त पैत्रिक चल/अचल संपत्ति में सहभागीदार है। ग्राम सोवत में स्थित पूर्वजों से स्वर्गीय पिता घनश्याम सिंह को प्राप्त भूमि सर्वे क्रमांक 416 एंव 452 कुल किता 2 कुल रकबा 2-581 हैक्टर का विवाद है । स्वर्गीय घनश्याम सिंह कैंसर की बीमारी से पीढ़ित रहते हुये दिनांक 8-7-17 को स्वर्गवासी हुये। आवेदक एंव असल अनावेदक सगे भाई हैं, तथा अन्य तरतीवीं अनावेदक भी स्वर्गीय घनश्याम सिंह के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–अशोकनगर/भू.रा./2018/2747

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/10/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार अशोकनगर के प्रकरण कमांक 1 अ–6/2017–18 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 27–3–18 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार अशोकनगर का आदेश दिनॉक 27–3–18 अंतरिम स्वरूप का है। तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है क्योंकि सॅशोधित संहिता 2018 की धारा 54 (क) सपठित 50 (1) (ग) के अनुसार तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्व कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी सुनवाई योग्य है। तद्नुसार प्रकरण कलेक्टर अशोकनगर की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है । पक्षकार दिनांक 17–12–2018 को कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष उपस्थित रहें। सदस्य कलेक्टर अशोकनगर	